




परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड-बक्सौर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से सछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी० के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)


कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र / वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। परियोजना के निर्माण के दौरान वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।


  
कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

  
अधिष्ठाता अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

  
वन भूमि अधिकारी  
जखोली रेंज  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

  
उपप्रभारी वन अधिकारी  
जखोली उप वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

  
प्रभागीय वन अधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग